



48  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No ..... G 42098/C-2/सां-641/2023

दिनांक  
Date ..... 7-12-2023

To,

**The Registrar,**  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.  
E-mail - judicial-ngt@gov.in.

**Subject: Submission of Compliance report pursuant to the order dated 30.05.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P.**

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 30.05.2023 in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P., the compliance report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

**(Rajendra Singh)**  
Chief Environmental Officer  
Circle-2

Compliance report in pursuant to order dated 30.05.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P.

1. That Hon'ble NGT took the matter in O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P. on the basis of a letter petition relating to violation of the norms by four stone crusher units namely M/s APCO Infratech Private Limited; Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai Maa Durga Mixture Plant; M/s. K.K.K. Construction and M/s. Maruti Nandan Stone Crusher operating at Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirjapur. Hon'be NGT has constituted a Joint Committee comprising of State PCB, District Magistrate, Mirjapur and Director, Mines and Geology Department, UP vide order dated 30.05.2023 and directed to submit the factual and action taken report within two months.
2. That in compliance of Hon'ble NGT order dated 30.05.2023 in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P, the report of Joint Committee has been filed by U.P. Pollution Control Board on 25.07.2023.
3. After reviewing the compliance report, Hon'ble NGT has passed the order dated 22.09.2023. The relevant part of the order is reproduced as follows:-

..... "3. The factual report dated 25.07.2023 has been submitted by the joint committee finding that each of the above unit has committed various violation of the environmental provisions. The report of the committee states that the UPPCB shall issue closure order against the concerned industry under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

and Directorate General of Mines and Safety (DGMS) department shall issue directions to the nearby mining projects to comply the SOP for blasting.

4. The Learned Counsel appearing for the UPPCB has informed that closure orders have already been issued on 06.09.2023 and 08.09.2023 for closing down the above said units. He further submits that show cause notices have also issued for imposing environmental compensation for the past violations.

5. Having regard to the report filed before this Tribunal, we deem it proper to implead the above stone crusher units as respondent in this petition as also we formally implead the UPPCB; District Magistrate, Mirzapur; State of UP and Secretary, Environment, State of UP as respondents.

6. Registry is directed to prepare amended memo of parties and to take necessary steps for service of notices to the above respondents.

7. List the matter on 11.12.2023.".....

4. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board had issued Show Cause notices to four stone crusher units namely M/s APCO Infratech Private Limited; Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai Maa Durga Mixture Plant; M/s. K.K.K. Construction and M/s. Maruti Nandan Stone Crusher operating at Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur for closing down the operation of unit and imposition of Environmental Compensation for violation period vide letter dated 25.01.2022, 06.09.2023 and 08.09.2023. The copies of show cause notices are attached herewith and marked as **Annexure No.-1.**

5. That it is submitted that as per the recommendation of Joint Committee report dated 25.07.2023, U.P. Pollution Control Board has issued closure orders to above said units vide letter dated 06.09.2023 and 30.11.2023

after giving due opportunity as per law. The copies of closure orders are attached herewith and marked as **Annexure No.-2**.

6. That it is submitted that Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Mirzapur has send reports for imposition of Environmental Compensation vide letter dated 07.12.2023. As per the reports, Environmental Compensation (EC) proposed against the stone crusher units for violation period is as follows:

S.No.	Stone Crusher Unit	Environmental Compensation
1.	M/s APCO Infratech Private Limited, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirjapur	<b>Rs.8,48,750.00</b> (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven Hundred Fifty Only)
2.	Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai Maa Durga Mixture Plant, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirjapur	<b>Rs.8,48,750.00</b> (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven Hundred Fifty Only)
3.	M/s. K.K.K. Construction, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirjapur	<b>Rs.8,48,750.00</b> (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven Hundred Fifty Only)
4.	M/s. Maruti Nandan Stone Crusher, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirjapur	<b>Rs. 39,37,500.00</b> (Rupees Thirty Nine Lakhs Thirty Seven Thousand Five Hundred Only)

The copies of Regional Office reports dated 07.12.2023 are enclosed herewith and marked as **Annexure No. 3**.

7. That it is submitted that on the basis of Regional Office report dated 07.12.2023, U.P. Pollution Control Board has imposed environmental compensation against the above mentioned 04 stone crusher units after approval from competent authority vide letter dated 07.12.2023. The

copies of letter dated 07.12.2023 issued to the units for imposition of environmental compensation are enclosed herewith and marked as **Annexure No. 4.**

The above compliance report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Dated : 07.12.2023

Yours Sincerely



**(Rajendra Singh)**

Chief Environmental Officer  
U.P. Pollution Control Board,  
Lucknow

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०  
Ref. No .....  
सेवा में,

*Mohd Us*

सं-2/वायु-506/23

दिनांक

Date

8-9-23

पंजीकृत

मैसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद- सोनभद्र।

यह कि मैसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु उपजिलाधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, चुनार, मीरजापुर की अध्यक्षता में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं राज्य बोर्ड के अधिकारियों की समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 को किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 के साथ संलग्न संयुक्त समिति की जॉच आख्यानसार निरीक्षण के दौरान आपके स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

*MU*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.  
सेवा में,

100/23

1/सी-2/वायु-506/23

दिनांक  
Date 8-9-23

पंजीकृत

मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लांट),  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद- सोनभद्र।

यह कि मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लांट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु उपजिलाधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, चुनार, मीरजापुर की अध्यक्षता में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं राज्य बोर्ड के अधिकारियों की समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 को किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 के साथ संलग्न संयुक्त समिति की जांच आख्यानुसार निरीक्षण के दौरान आपके स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लांट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

Stone closure order

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में,

11.00421 / सी-2/ वायु-506/23

दिनांक

Date

06/09/23

पंजीकृत

मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

यह कि मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु उपजिलाधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, चुनार, मीरजापुर की अध्यक्षता में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं राज्य बोर्ड के अधिकारियों की समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 को किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 के साथ संलग्न संयुक्त समिति की जांच आख्यानुसार निरीक्षण के दौरान आपके स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं एवं इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु आदेश भी प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

.....2.....

12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831


फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



59

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

/सी-2/क0ब0नो0/वायु-506/2022

पंजीकृत

दिनांक

सेवा में,

मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन कशर,  
ग्राम रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील चुनार,  
जनपद मिर्जापुर ।

यह कि मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन कशर, ग्राम रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है ।

यह कि आपका उद्योग एक स्टोन कशर इकाई है । क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 29.12.2021 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या दिनांक 15.12.2021 के अनुसार उद्योग के निरीक्षण के दौरान आपके औद्योगिक संयंत्र द्वारा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं का संचालन करते हुए स्टोन ग्रीट उत्पादन किया जाता है तथा स्टोन कशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन से जनित वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार अधिष्ठापित डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्था निष्प्रयोज्य स्थिति में पायी गई । उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से अधिनियमों के अंतर्गत बिना पूर्व सहमति प्राप्त किये, संचालित है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु चलाने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन कशर, ग्राम रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए ।
3. यह कि क्यों न उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए ।

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा ।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की उद्योग को प्राप्त सुनिश्चित कराकर, उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या एवं उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्ताव 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

1103478/सी-2/वायु-524/नंदा आदेश/23

दिनांक

Date 20.11.23

~~संजीव~~

मैसर्स एफ़ो इन्फ़्राटेक प्राइवेट लिमिटेड,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद- मीरजापुर।

यह कि इकाई मैसर्स एफ़ो इन्फ़्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई के किये गये स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति शर्तों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 00440/सी-2/वायु-506/23 दिनांक 08.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में उद्योग द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है तथा इकाई के अद्यतन निरीक्षण के समय भी उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी है

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 22.09.2023 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 08.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स एफ़ो इन्फ़्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर ।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

H.O. 3476 / (सी-2) वायु-503/नंदा/आदेश/23

दिनांक

Date

30-11-23

मंजीकृत

मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लांट),  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद- मीरजापुर।

यह कि इकाई मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लांट),  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन  
ग्रीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)  
अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता  
देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines  
and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action  
taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई के किये गये स्थलीय  
निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा  
निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी  
सहमति शर्तों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच  
00439/सी-2/वायु-506/23 दिनांक 08.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981  
यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में उद्योग द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं  
किया गया है तथा इकाई के अद्यतन निरीक्षण के समय भी उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी हैं

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 22.09.2023 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र  
दिनांक 08.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत  
जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा  
नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि  
आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण  
निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त  
निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लांट), ग्राम-रामपुर  
ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव  
से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत  
आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com


T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com State closure order

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर ।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.  
सेवा में,

103477/सी-2/वायु-525/बंदी आदेश/23

दिनांक

Date 30.11.23

संजीवित

मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

यह कि इकाई मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

कृपया अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई के किये गये स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु आदेश प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 00421/सी-2/वायु-506/23 दिनांक 06.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में उद्योग द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है तथा इकाई के अद्यतन निरीक्षण के समय भी उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें पूर्ववत् पायी गयी है

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 22.09.2023 द्वारा स्टोन क्रशर इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 06.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com Stone closure order

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर ।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

HT0420

सी-2/ वायु-506/23

दिनांक

Date 06/09/23

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

यह कि मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"..... we constitute a joint Committee comprising State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail...."

उक्त पारित आदेश के अनुपालन हेतु उपजिलाधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, चुनार, मीरजापुर की अध्यक्षता में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं राज्य बोर्ड के अधिकारियों की समिति द्वारा आपके स्टोन क्रशर इकाई का स्थलीय निरीक्षण दि० 18.07.2023 को किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 के साथ संलग्न संयुक्त समिति की जाँच आख्यानुसार निरीक्षण के दौरान आपके स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति जल/वायु आदेश भी प्राप्त नहीं किया गया है। इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 25.01.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण इकाई द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com Stone closure order



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G000929/OA No. 388/2023

दिनांक:-

Date: 07.12.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय:- मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H00440/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-08.09.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में उक्त कारण बताओ नोटिस के पुष्टि किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या-G000759/O.A.No.388/2023 दिनांक-22.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H03478/सी-2/वायु-524/बंदी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 18.07.2023 से बन्दी आदेश की तिथि के मध्य की अवधि हेतु को डिफाल्टर अवधि मानते हुए इस पत्र के साथ संलग्न गणना सीट/आख्या के अनुसार रू० 8,43,750.00 (आठ लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र की क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H00440/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-08.09.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में उक्त कारण बताओ नोटिस के पुष्टि किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या-G000759/O.A.No.388/2023 दिनांक-22.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H03478/सी-2/वायु-524/बंदी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार उद्योग का पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 18.07.2023 से जारी बन्दी आदेश की तिथि 30.11.2023 के मध्य की अवधि को डिफाल्टर अवधि मानते हुए 135 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**

Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**

**N =135 (No. of days from which the non-compliance has been observed)**

**R = 250 (R factor in Rupees)**

**S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)**

**LF=1.0 (Location Factor= 1.0 as population of Vill.Rampur Dhabhi, Paragana Bhagawat, Chunar, lies between 1 lac to 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)**

Therefore,

**Environmental Compensation(EC) = PI x N x R x S x LF**  
**= 50 x 135 x 250 x 0.5 x 1.0**  
**= Rs. 8,43,750/-(Rs. Eight Lakh forty three Thousand Seven Hundred Fifty)**

उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Shubham Singh*  
07/12/23  
(शुभम सिंह)  
जे0आर0एफ0

*Rajesh*  
07/12/23  
(राजेश गौतम)  
प्रयोगशाला सहायक

*W.S.*  
07/12/23  
(के0के0 मौर्या)  
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*07/12/2023*



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G000928/O.A.No.388/2023

दिनांक:-

Date: 07.12.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय:- मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मेसर्स जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लांट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मेसर्स जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लांट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H00439/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-08.09.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में उक्त कारण बताओ नोटिस के पुष्टि किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या-G000757/O.A.No.388/2023 दिनांक-22.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H03476/सी-2/वायु-503/बंदी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मेसर्स जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लांट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 18.07.2023 से बन्दी आदेश की तिथि के मध्य की अवधि हेतु को डिफाल्टर अवधि मानते हुए इस पत्र के साथ संलग्न गणना सीट/आख्या के अनुसार रू० 8,43,750.00 (आठ लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र की क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मेसर्स जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट),  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरण  
क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम  
उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस  
कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित  
की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04  
स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की  
धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में मेसर्स शिव शक्ति  
इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मेसर्स जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H00439/सी-2/वायु-506/23  
दिनांक-08.09.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में उक्त कारण बताओ नोटिस  
के पुष्टि किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या-G000757/O.A.No.388/2023 दिनांक-  
22.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय,  
लखनऊ के पत्र संख्या-H03476/सी-2/वायु-503/बंदी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण  
निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया  
गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014  
एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार उद्योग का पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 18.07.2023 से  
जारी बन्दी आदेश की तिथि 30.11.2023 के मध्य की अवधि को डिफाल्टर अवधि मानते हुए 135 दिनों हेतु  
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance  
has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**

Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**

**N =135 (No. of days from which the non-compliance has been observed)**

**R = 250 (R factor in Rupees)**

**S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than  
Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)**

**LF=1.0 (Location Factor= 1.0 as population of Vill.Rampur Dhabhi, Paragana Bhagawat,  
Chunar, lies between 1 lac to 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)**

Therefore,

**Environmental Compensation(EC) = PI x N x R x S x LF  
= 50 x 135 x 250 x 0.5 x 1.0  
= Rs. 8,43,750/-(Rs. Eight Lakh forty three  
Thousand Seven Hundred Fifty)**

उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Shubham Singh*  
07/12/23  
(शुभम सिंह)  
जे0आर0एफ0

*Rajesh*  
07/12/23  
(राजेश गौतम)  
प्रयोगशाला सहायक

*Ujjwal*  
07/12/23  
(के0के0 मौर्या)  
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*07/12/2023*



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G000930/OA No- 388/2023

दिनांक:-

Date: 07.12.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय:- मेसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में मेसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H00421/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-06.09.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में उक्त कारण बताओ नोटिस के पुष्टि किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या-G000758/O.A.No.388/2023 दिनांक-22.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H03477/सी-2/वायु-525/बंदी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 18.07.2023 से बन्दी आदेश की तिथि के मध्य की अवधि हेतु को डिफाल्टर अवधि मानते हुए इस पत्र के साथ संलग्न गणना सीट/आख्या के अनुसार रू० 8,43,750.00 (आठ लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र की क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-722 र ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। तत्क्रम में मेसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H00421/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-06.09.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्क्रम में उक्त कारण बताओ नोटिस के पुष्टि किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या-G000758/O.A. No. 388/2023 दिनांक-22.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H03477/सी-2/वायु-525/बंदी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार उद्योग का पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 18.07.2023 से जारी बन्दी आदेश की तिथि 30.11.2023 के मध्य की अवधि को डिफाल्टर अवधि मानते हुए 135 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**

Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**

**N=135 (No. of days from which the non-compliance has been observed)**

**R = 250 (R factor in Rupees)**

**S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)**

**LF=1.0 (Location Factor= 1.0 as population of Vill.Rampur Dhabhi, Paragana Bhagawat, Chunar, lies between 1 lac to 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)**

Therefore,

**Environmental Compensation(EC) = PI x N x R x S x LF**  
**= 50 x 135 x 250 x 0.5 x 1.0**  
**= Rs. 8,43,750/- (Rs. Eight Lakh forty three Thousand Seven Hundred Fifty)**

उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Shubham Singh*  
07/12/23  
(शुभम सिंह)  
जे०आर०एफ०

*Rajesh*  
07/12/23  
(राजेश गौतम)  
प्रयोगशाला सहायक

*MS*  
07/12/23  
(के०के० मौर्या)  
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*MS*  
07/12/2023



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G000927/OA NO-388/2023

दिनांक:-

Date: 07.12.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय:- मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन आ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। पूर्व में मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H70818/सी-2/क०ब०नो०/वायु-506/22 दिनांक-25.01.2022 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् उक्त उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H00420/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-06.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 15.12.2021 से बन्दी आदेश की तिथि के मध्य की अवधि हेतु को डिफाल्टर अवधि मानते हुए इस पत्र के साथ संलग्न गणना सीट/आख्या के अनुसार रू० 39,37,500 (उनतालिस लाख सैतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम 74 रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति की जाँच आख्या इस कार्यालय के पत्रांक-G000585/O.A.No.388/2023 दिनांक-26.07.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ प्रेषित की गयी है। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति की जाँच आख्या के आधार पर प्रकरण में संदर्भित 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी। पूर्व में मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-H70818/सी-2/का0ब0नो0/वायु-506/2022 दिनांक-25.01.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H00420/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-06.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार उद्योग का पूर्व में किये गये निरीक्षण तिथि 15.12.2021 से जारी बन्दी आदेश की तिथि 06.09.2023 के मध्य की अवधि को डिफाल्टर अवधि मानते हुए 630 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**

Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**

**N =630 (No. of days from which the non-compliance has been observed)**

**R = 250 (R factor in Rupees)**

**S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)**

**LF=1.0 (Location Factor= 1.0 as population of Vill.Rampur Dhabhi, Paragana Bhagawat, Chunar, lies between 1 lac to 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)**

Therefore,

**Environmental Compensation(EC)**

= PI x N x R x S x LF

= 50 x 630 x 250 x 0.5 x 1.0

= **Rs. 39,37,500/- (Rs. Thirty Nine Lakh**

**Thirty Seven Thousand Five Hundred only)**

उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Shubham Singh  
07/12/23  
(शुभम सिंह)  
जे0आर0एफ0

Rajesh  
07/12/23  
(राजेश गौतम)  
प्रयोगशाला सहायक

MJ  
07/12/23  
(के0के0 मौर्या)  
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

07/12/2023



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No  
सेवा में,

H03745/c-2/वायु-524/EC/2023

दिनांक  
Date ..... 7-12-2023  
पंजीकृत

मैसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

विषय- मैसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के किये गये निरीक्षण 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति शर्तों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत एवं उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.09.2023 के अनुक्रम में इकाई द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किये जाने तथा इकाई में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार न किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की संस्तुति आख्या दिनांक 22.09.2023 के दृष्टिगत उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्राप्त आख्या दिनांक 07.12.2023 के दृष्टिगत इकाई के पूर्व में संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 से इकाई को जारी बंदी आदेश दिनांक 30.11.2023 के मध्य कुल 135 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 8,43,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है। गणना निम्नवत है:-

**(Environment Compensation) EC = PI x N x R x S x LF**

where Pi=Pollution Index of Industrial Sector, N= No. of days of violation, R=A Factor in Rupees for penalty, S= Factor for scale of operation i.e. large/medium/small, LF= Location factor)

Therefore EC = PI x N x R x S x LF  
= 50x1x250x0.5x1.0 = 6,250.00/-

उपरोक्तानुसार इकाई मैसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर रू0 8,43,750/- (रू0 आठ लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com

## प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H03746/C-2/वायु-504/EC/23

दिनांक

Date 7-12-2023

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट),  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

विषय- मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम-रामपुर ढबही,  
परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के  
सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के किये गये निरीक्षण 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति शर्तों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 08.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत एवं उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.09.2023 के अनुक्रम में इकाई द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किये जाने तथा इकाई में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार न किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की संस्तुति आख्या दिनांक 22.09.2023 के दृष्टिगत उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्राप्त आख्या दिनांक 07.12.2023 के दृष्टिगत इकाई के पूर्व में संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 से इकाई को जारी बंदी आदेश दिनांक 30.11.2023 के मध्य कुल 135 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 8,43,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है। गणना निम्नवत है:-

**(Environment Compensation) EC = PI x N x R x S x LF**

where Pi=Pollution Index of Industrial Sector, N= No. of days of violation, R=A Factor in Rupees for penalty, S= Factor for scale of operation i.e. large/medium/small, LF= Location factor)

Therefore EC = PI x N x R x S x LF

= 50x1x250x0.5x1.0 = 6,250.00/-

उपरोक्तानुसार इकाई मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मॉ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर रू० 8,43,750/- (रू० आठ लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

BMW

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

## प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No

H03747/C-2/वायु-525/EC/23

दिनांक

Date 7-12-2023

सेवा में,

मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

पंजीकृत

विषय- मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के किये गये निरीक्षण 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति शर्तों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 06.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत एवं उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.09.2023 के अनुक्रम में इकाई द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किये जाने तथा इकाई में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में सुधार न किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की संस्तुति आख्या दिनांक 22.09.2023 के दृष्टिगत उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 30.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्राप्त आख्या दिनांक 07.12.2023 के दृष्टिगत इकाई के पूर्व में संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 18.07.2023 से इकाई को जारी बंदी आदेश दिनांक 30.11.2023 के मध्य कुल 135 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार रू० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू० 8,43,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है। गणना निम्नवत है:-

**(Environment Compensation) EC = PI x N x R x S x LF**

where Pi=Pollution Index of Industrial Sector, N= No. of days of violation, R=A Factor in Rupees for penalty, S= Factor for scale of operation i.e. large/medium/small, LF= Location factor)

Therefore EC = PI x N x R x S x LF

= 50x1x250x0.5x1.0 = 6,250.00/-

उपरोक्तानुसार इकाई मैसर्स मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर रू० 8,43,750/- (रू० आठ लाख तिरालिस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

H03748/C-2/वायु-506/EC/23

दिनांक

Date

7-12-2023

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर,  
ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

विषय- मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपकी स्टोन क्रशर उद्योग के पूर्व में राज्य बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 15.12.2021 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने एवं संचालन हेतु अधिनियमों के अंतर्गत सहमति जल/वायु आदेश प्राप्त नहीं किये जाने के कारण उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 70818/सी-2/का0ब0नो0/वायु-506/22 दिनांक 25.01.2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत एवं उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के किये गये निरीक्षण 18.07.2023 के समय स्टोन क्रशर इकाई में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पाये जाने तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.01.2022 का प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किये जाने के कारण एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की संस्तुति आख्या दिनांक 26.07.2023 के दृष्टिगत इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 06.09.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्राप्त आख्या दिनांक 07.12.2023 के दृष्टिगत इकाई के पूर्व निरीक्षण दिनांक 15.12.2021 से इकाई को जारी बंदी आदेश दिनांक 06.09.2023 के मध्य कुल 630 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 39,37,500/- (रू0 उन्तालिस लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है। गणना निम्नवत है:-

**(Environment Compensation) EC = PI x N x R x S x LF**

where Pi=Pollution Index of Industrial Sector, N= No. of days of violation, R=A Factor in Rupees for penalty, S= Factor for scale of operation i.e. large/medium/small, LF= Location factor)

Therefore EC = PI x N x R x S x LF

= 50x1x250x0.5x1.0 = 6,250.00/-

उपरोक्तानुसार इकाई मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर रू0 39,37,500/- (रू0 उन्तालिस लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

BMV

## प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)